न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, नैनवां जिला बूंदी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ0 दुडा राम खोकर, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 246/2021

सी.आई.एस.नम्बर : 246/2021

प्र0 सू0 रि0 संख्या : 208/2016 पुलिस थाना देई, जिला बूंदी

राजस्थान राज्य .... अभियोगी

वि रु द्ध

सुमित्रा बाई पुत्री मोडूलाल, उम्र 60 साल
निवासी–बांक्या थाना देई, जिला बूंदी (राज.)

–अभियुक्ता

अन्तर्गत धारा– 341, 323 324, 325, 308 भा0 दं0 सं0

उपस्थितः–

(1) विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर लोक अभियोजक– उपस्थित।

(2) विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर लाल शर्मा – अभियुक्ता की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक : 23.03.2026**

1. प्रकरण में अभियुक्ता सुमित्रा के विरुद्ध 341, 323 324, 325, 308 भा0 दं0 सं0 के अपराधों के आरोपों का निर्णयन किया जा रहा है।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार रहे हैं कि पी0 डब्ल्यू0 01 पुष्पा बाई के द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना देई पर इस आशय की दी गई कि मैं ग्राम बांक्या जिला बून्दी की निवासी हूं। आज दिन के 12 बजे के लगभग की घटना है। शंकर पुत्र मोडूलाल, जोधराज पुत्र शंकर, सेना बाई पुत्री शंकरलाल, सुमित्रा बाई पत्नी मोडूलाल व भूरी बाई पत्नी शंकरलाल हमारे निजी मुकाम पर आकर के सुमित्रा ने, पुष्पा बाई पत्नी किशन गोपाल ने सिर पर कुंदाली की चोट व बांये हाथ में चोटे खून आलून्दा हुआ है। बाबूलाल पुत्र किशन गोपाल ने बीच बचाव किया था।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर पुलिस थाना देई द्वारा प्रदर्श पी–02, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **208/2016** धारा 341, 323, 324, 325, 308 भा0 दं0 सं0 के तहत पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं सम्पूर्ण

अनुसंधान उपरान्त अभियुक्ता सुमित्रा के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 308, 325 भा0 दं0 सं0 के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु अभियोग–पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अभियोग पत्र के आधार पर लिये गये प्रसंज्ञान के क्रम में सम्बन्धित अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य पाते हुये प्रकरण न्यायालय श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय, बूंदी, जिला बूंदी को उपार्पित किया गया। प्रकरण इस न्यायालय को अन्तरण की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, जिस पर प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया गया।

4. आरोप के बिन्दु पर सुना जाने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 325, 308 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु आरोप विहित प्रारूप में विरचित किये जाकर सुनाये समझाये गये तो अभियुक्ता ने आरोपित अपराधों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को प्रस्तुत कर उनके कथन लेखबद्ध करवाये गये –

पी0 डब्ल्यू0 1	पुष्पा	पी0 डब्ल्यू0 6	महावीर प्रसाद
पी0 डब्ल्यू0 2	बाबूलाल	पी0 डब्ल्यू0 7	आत्माराम
पी0 डब्ल्यू0 3	सोराज	पी0 डब्ल्यू0 8	गिरधर सिंह
पी0 डब्ल्यू0 4	संतोष बाई	पी0 डब्ल्यू0 9	गिर्राज मीणा
पी0 डब्ल्यू0 5	डॉ. लक्ष्मी प्रकाश नागर	पी0 डब्ल्यू0 10	कंचन चौधरी
		पी0 डब्ल्यू0 11	रतनलाल

6- अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये –

प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी–3	घटनास्थल का नक्शा मौका
प्रदर्श पी–4	बयान गवाह सोराज अन्तर्गत धारा 161 सी आर पी सी
प्रदर्श पी–5	बयान गवाह संतोष बाई अन्तर्गत धारा 161 सी आर पी सी

प्रदर्श पी–6	चोट प्रतिवेदन मजरूबा पुष्पा बाई
प्रदर्श पी–7	एक्सरे कवर नोट
प्रदर्श पी–8 से 10	एक्सरे प्लेट
प्रदर्श पी–11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता सुमित्रा बाई
प्रदर्श पी–12	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना
प्रदर्श पी–13	फर्द बरामदगी एक लोहे की दांतली
प्रदर्श पी–14	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका

7. तत्पश्चात् अभियुक्ता के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 में लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया एवं स्वयं को निर्दोष होना, झूंठा फंसाया जाने का कथन किया एवं बचाव में साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गई।

8. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि अभियोजन अपने मामले को अभियुक्ता के विरूद्ध प्रमाणित करने में सफल रहा है, सभी गवाहान ने एक स्वर में अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित किए जाने की साक्ष्य दी है। इसलिए किसी प्रकार का संदेह सम्पूर्ण गवाहान की साक्ष्य में नहीं है। अतः अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया जाकर कठोरतम कारावास से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

9. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता के तर्क रहे है कि प्रकरण में अभियुक्ता को झूठा फंसाया गया है। गवाहो की साक्ष्य में मारपीट में शामिल व्यक्तियो की संख्या, मारपीट के स्थान व मारपीट के लिये प्रयुक्त हथियार इन तीनो बिन्दुओ पर गंभीर असंगतता, विरोधाभास व इम्प्रूवमेंट विद्यमान है। अतः अभियोजन पक्ष की गवाहो की साक्ष्य विश्वास योग्य नही है। स्वतंत्र गवाहान पी0 डब्ल्यू0 03 सोराज व पी0 डब्ल्यू0 04 संतोष बाई ने मजरूबा पुष्पा बाई का गिर जाने से उसके चोटे आने के बारे में स्पष्ट साक्ष्य दी है और यह भी स्पष्ट साक्ष्य दी है कि सुमित्रा बाई व पुष्पा बाई के बीच कोई लडाई झगडा नही हुआ तथा रास्ते को लेकर दोनो पक्षो में पुराना विवाद है। पी0 डब्ल्यू0 02 बाबूलाल ने जिरह में स्वीकार किया है कि वह गया तब उसकी मां घर पर

पडी हुई थी। अतः यह गवाह भी घटना का चश्मदीद गवाह नही है तथा पी0 डब्ल्यू0 01 पीडिता पुष्पा बाई की साक्ष्य असंगतता, विरोधाभास व इम्प्रूवमेंट विद्यमान होने के कारण विश्वास योग्य नही है। अतः अभियोजन का मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्ता को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त घोषित किया जावे।

10. उक्त बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानूपर्वक अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के विचारण हेतु निम्न बिन्दु उभरते हैं :–

(1) ''क्या अभियुक्ता ने दिनांक 11.07.2016 को दोपहर करीब 12 बजे मुकाम बांक्या में मजरूबा पुष्पा बाई का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुये धारदार व कुन्द हथियारो से मारपीट कर साधारण व घोर उपहति कारित की और मजरूबा पुष्पा बाई के साथ धारदार हथियार से सिर जैसे मार्मिक भाग पर चोट ऐसे आशय या ज्ञान के साथ व परिस्थितियो में कारित की यदि मजरूबा की मृत्यु हो जाती तो आपराधिक मानव वध का अपराध घटित होता इस तरह अभियुक्ता सुमित्रा द्वारा अपराध धारा 323, 341, 324, 325 व 308 भा.द.सं में अपराध कारित किया?''

(2) यदि अभियुक्ता को उक्त अपराधों हेतु दोषी पाया जाये तो वो किस सजा का भागी होंगे ?

11. मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरचित विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण करे तो पी0 डब्ल्यू0 05 डॉ. लक्ष्मीप्रकाश नागर जिसके द्वारा मजरूबा पुष्पा बाई का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्न अनुरूप कथन किया है कि मै दिनांक 11.07.2016 को सी एच सी देई में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था उस दिन पुलिस थाना देई के प्रतिवेदन पर मजरूबा पुष्पा बाई पत्नी किशनगोपाल के शरीर पर आयी चोटो का मुआयना किया था, जिसके शरीर पर निम्न चोटे थी–

1 नीलगू 4 × 2 सेमी बांये अग्रभुजा के उपरी भाग पर,
2 कटा फटा घाव 3 × 0.5 सेमी × मांसपेशियों की गहराई तक बांयी अग्रभुजा

के निचले वाले भाग पर,
3 कटा हुआ घाव 3 × 1/4 × 1/4 सेमी सिर के बांयी साईड पर,
उपरोक्त सभी चोटें 24 घंटे के भीतर की अवधि की थी। चोट नं. 1 व 2 कुंदाले से कारित थी व चोट नं. 3 धारदार हथियार से कारित थी। उपरोक्त तीनो चोटों के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। बाद एक्सरे चोट नं0 1 व 3 साधारण प्रकृति की तथा चोट नं0 2 फैक्चर होने के कारण से गंभीर प्रकृति की होना पायी गयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह है व ई से एफ बाद एक्सरे मेरी राय है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस तरह डॉ. लक्ष्मीप्रकाश नागर द्वारा मजरूबा की चोट संख्या 02 जो बांयी अग्र भुजा पर कारित थी, उसे बाद एक्सरे फ्रेक्चर होने से गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है। मजरूबा का एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 7 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 08 लगायत 10 को रेडियोग्राफर पी0 डब्ल्यू0 06 महावीर प्रसाद मीणा द्वारा सम्यक रूपेण प्रमाणित किया गया है। इस तरह चिकित्सकीय साक्ष्य से मजरूबा पुष्पा बाई के शरीर पर कुल 03 चोटे जिसमें से 02 चोट बांयी अग्र भुजा पर और तीसरी चोट सिर के बांयी साईड में कटे हुये घाव के रूप में आने का तथ्य प्रमाणित होता है, जिसमें से चोट संख्या 02 बांयी अग्र भुजा में अस्थि भंग होने का तथ्य भी सम्यकरूपेण प्रमाणित है परन्तु मजरूबा पुष्पा बाई की उपरोक्त चोटे अभियुक्ता सुमित्रा बाई के द्वारा कारित की गई है या पुष्पा बाई के दांतली से काम करते समय गिरने पडने से कारित हुई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य का अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण करे तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के मुताबिक घटना मजरूबा पुष्पा बाई के घर में कारित होने का अंकन है परन्तु इस सम्बन्ध में नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का अवलोकन करे तो उसमें घटनास्थल एक्स ए स्थान पर रास्ते में दिखाया गया है, जिस फर्द प्रदर्श पी 3 पर मजरूबा पुष्पा बाई की अंगूठा निशानी व उसके पुत्र पी0 डब्ल्यू0 02 बाबू के हस्ताक्षर है। मजरूबा पुष्पा बाई ने अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयानो में भी भैसो को ले जाते समय मारपीट करने का कथन किया है। पी0 डब्ल्यू0 02 बाबूलाल के धारा 161 सीआरपीसी के बयानो में भी ए से बी भाग में मैं भागकर शमशान वाले रास्ते में गया तो..........मेरी मां पडी हुई थी, इस तरह का कथन अंकित है। इस तरह पुलिस बयानो व नक्शा मौका में मारपीट रास्ते में होने का हवाला है और तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व न्यायालय के समक्ष बयानो में पी0 डब्ल्यू0 01

मजरूबा पुष्पा बाई व पी0 डब्ल्यू0 02 बाबू घर के अन्दर झगडा होने का कथन कर रहे है। इस सम्बन्ध में पी0 डब्ल्यू0 03 सोराज व पी0 डब्ल्यू0 04 संतोष बाई की साक्ष्य का अवलोकन करे तो इन दोनो गवाहो ने भी बबूल की टहनियां काटते समय पुष्पा बाई के भैसों से नीचे गिर जाने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी पी0 डब्ल्यू0 08 गिरधर सिंह ने भी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 में दर्शित एक्स 01 स्थान ही लडाई झगडे का स्थान है, जो मैने फरियादिया की निशादेही में बनाया था। लिहाजा घटनास्थल के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में गंभीर अंसगतता व विरोधाभास विद्यमान है और स्वतंत्र गवाहो के साक्ष्य के प्रकाश में प्रकरण में मारपीट की घटना मजरूबा के घर में घटित होना गंभीर रूप से संदेहास्पद है। इसके अलावा मारपीट करने वाले लोगो की संख्या के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण करे तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में शंकर, जोधराज, सेना बाई, सुमित्रा बाई भूरी बाई आदि द्वारा मारपीट करने का हवाला है जबकि बाद अनुसंधान आरोप—पत्र केवल सुमित्रा बाई के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अतः तहरीरी रिपोर्ट बढा—चढाकर मुल्जिमा सुमित्रा बाई के सम्पूर्ण परिवार को फंसाने हेतु लिखवाया जाना प्रकट होता है, क्योकि न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानो में मजरूबा पुष्पा बाई व उसके पुत्र बाबूलाल ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित अन्य व्यक्तियो के घटना में संलिप्तता बाबत किसी प्रकार का कोई कथन नही किया है और पीडिता पुष्पा बाई ने अपनी जिरह में स्पष्ट स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का ए से डी भाग का मुझे पता नही है। लिहाजा घटना में भागीदार व्यक्तियो की संख्या के बाबत भी अभियोजन कहानी इम्प्रूवमेंट लिये हुये है। जहां तक घटना में प्रयुक्त हथियार का प्रश्न है इस सम्बन्ध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का अवलोकन करे तो कुन्दाली से सिर में चोट मारने का अंकन है जबकि न्यायालय के समक्ष पी0 डब्ल्यू0 01 पुष्पा बाई व पी0 डब्ल्यू0 02 बाबूलाल दांतली से मारपीट करने का कथन करते आ रहे है। लिहाजा इस बिन्दु पर भी अभियोजन साक्ष्य असंगतता व विरोधाभास लिये हुये है। दौराने अनुसंधान अभियुक्ता सुमित्रा बाई द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में दांतली बरामद होने के बाबत पी0 डब्ल्यू0 08 गिरधर सिंह, अनुसंधान अधिकारी ने कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि जो दांतली बरामद की थी वह जंग खाई हुई और पुरानी थी, उस पर खून लगा हुआ नही था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि

प्रकरण में जब्त शुदा दांतली भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान पेश नही हुई है। बचाव पक्ष का शुरू से ही बचाव रहा है कि मजरूबा पुष्पा बाई दांतली से कांटे हटाने का काम करते समय गिर गई थी, जिससे उसके चोटे आई है। इस सम्बन्ध में यद्यपि मजरूबा पुष्पा बाई ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझाव को गलत बताया है परन्तु पी0 डब्ल्यू0 03 सोराज व पी0 डब्ल्यू0 04 संतोष बाई जो दोनो घटना के चश्मदीद गवाह है, उन्होने स्पष्ट साक्ष्य दी है कि वक्त घटना ये दोनो गवाह अपने खेत में बाड डाल रहे थे, पुष्पा के पास दांतली थी, जिससे वह बबूल की टहनियां काट रही थी, पुष्पा भैसों की वजह से नीचे गिर गई थी और जिरह में भी इन गवाहो ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पुष्पा बाई कमर के बल गिरी थी। पुष्पा बई़ी ने मुझे व मेरी पत्नी को बताया था कि भैसों से चमककर में पीठ के बल गिर गई, जिससे मेरे बांये हाथ की दांतली मेरे सिर के पीछे लग गई। लडाई झगडा सम्बन्धित कोई बात नही हुई। यह बात सही है कि पुष्पा बाई व सुमित्रा बाई के परिवार वालो के रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में पी0 डब्ल्यू0 02 बाबूलाल ने जिरह में स्पष्ट स्वीकार किया है कि मैं गया तब मेरी मां घर में पडी हुई थी। अतः यह गवाह मारपीट का चश्मदीद गवाह हो यह तथ्य इस गवाह के उपरोक्त कथन के प्रकाश में संदेहास्पद हो जाता है। इसके अलावा इस गवाह ने अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श डी 2 में शमशान वाले रास्ते पर मेरी मां पडी हुई थी, ऐसा कथन किया है। जबकि न्यायालय के समक्ष घर के अन्दर मारपीट की बात कर रहा है। अतः इस बिन्दु पर इस गवाह की साक्ष्य इम्प्रूवेंट लिये होने के कारण विश्वास योग्य नही है। पी0 डब्ल्यू0 01 मजरूबा पुष्पा बाई ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में सुमित्रा बाई द्वारा उसके घर में आकर दांतली से उसके सिर व हाथ में मारपीट करने का कथन किया है परन्तु इस गवाह की साक्ष्य मारपीट करने वालो की संख्या, मारपीट में प्रयुक्त हथियार, घटनास्थल व घटना घटने की रीति इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 से गंभीर असंगतता, विरोधाभास व इम्प्रूवमेंट लिये हुये है तथा स्वतंत्र गवाह पी0 डब्ल्यू0 03 सोराज व पी0 डब्ल्यू0 04 संतोष बाई की साक्ष्य से भी संपुष्ट नही हो रही है। इसके विपरीत स्वतंत्र गवाह पी0 डब्ल्यू0 03 सोराज व पी0 डब्ल्यू0 04 संतोष बाई अपने साक्ष्य में स्पष्ट कथन कर रहे है कि पुष्पा बाई दांतली से कांटो की टहनियां काट रही थी, उसी दौरान भैसों की वजह से नीचे गिर गई थी, जिससे उसके

दांतली सिर में लग गई थी और लडाई–झगडे जैसी कोई बात नही हुई थी। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्ता द्वारा लिया गया बचाव सम्भाव्य प्रतीत होता है और मजरूबा पुष्पा बाई की साक्ष्य की अभियुक्ता सुमित्रा बाई ने उसके साथ मारपीट की इस बाबत असंगतता, विरोधाभास व इम्प्रूवमेंट लिये हुए होने के कारण विश्वास योग्य नही होने से अभियोजन पक्ष अभियुक्ता सुमित्रा के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 324, 325, 308 का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे करने में विफल रहा है। अतः आरोप अन्तर्गत धारा 323, 341, 324, 325, 308 भा.दं.सं. युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्ता सुमित्रा बाई को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोष–मुक्त घोषित करना न्यायोचित पाता हूँ।

आ दे श

12. अतः अभियुक्ता सुमित्रा बाई पुत्री मोडूलाल, उम्र 60 साल निवासी–बांक्या थाना देई, जिला बूंदी (राज.) को धारा 323, 341, 324, 325, 308 भा0 दं0 सं0 के आरोप से सन्देह के लाभ में दोष मुक्त किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्ता के विरूद्व कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर के लिए अनुशंषा का मामला युक्ति युक्त रूप से गठित नही होता है। अभियुक्ता इस प्रकरण में जमानत पर स्वतन्त्र हैं, अतः उसके न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण का माल मशरूका बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नही होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट कर निस्तारण करने के आदेश दिये जाते है। अभियुक्ता की ओर से धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

(डॉ0 दुडा राम खोकर)
अपर सेशन न्यायाधीश
नैनवा जिला बून्दी (राजस्थान)

13. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 दुडा राम खोकर)
अपर सेशन न्यायाधीश
नैनवा जिला बून्दी (राजस्थान)